

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

23 मार्च, 2023 (ई०)

गुरुवार, तिथि-

[एकादश (बजट) सत्र]

02 चैत्र, 1944 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री राज सिन्हा, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-15-03-2023, 16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (05)- श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-15-03-2023, 16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (06)- डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-15-03-2023, 16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (07)- प्रो०स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० एवं श्री लोबिन हेम्ब्रम, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)

- (08)- श्री केदार हजरा, स०वि०स० एवं श्री नारायण दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (09)- श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन,कला-संस्कृति,खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (10)- श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23 एवं 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (11)- डॉ०नीरा यादव,स०वि०स०, श्री अमर कुमार बाउरी,स०वि०स० एवं श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-16-03-23, 17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (12)- श्रीमती सुनिता चौधरी,स०वि०स० एवं डॉ० लम्बोदर महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (13)- श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (14)- सर्वश्री राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोनगाड़ी एवं श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (15)- श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० एवं डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार(ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (16)- सर्वश्री अमर कुमार बाउरी,मनीष जायसवाल एवं श्री केदार हजरा,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-17-03-23, 18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)

- (17)- श्री सरयू राय, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (18)- प्रो०स्टीफन मराण्डी,स०वि०स० एवं श्री निरल पुरती, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (19)- श्री किशुन कुमार दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (20)- डॉ०लम्बोदर महतो,स०वि०स० श्री मथुरा प्रसाद महतो,स०वि०स० एवं श्रीमती सुनिता चौधरी,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (21)- श्री सुखराम उराँव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-18-03-23, 20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (22)- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (23)-श्री रामचन्द्र सिंह,स०वि०स० एवं श्री प्रदीप यादव,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (24)- श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स०, श्री कोचे मुण्डा एवं श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (25)- श्री कमलेश कुमार सिंह,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (26)- श्री नवीन जयसवाल, स०वि०स० एवं श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-03-23, 21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (27)- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० एवं श्री नवीन जयसवाल,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन,कला-संस्कृति,खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (28)- श्री भूषण तिर्की,स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)

- (29)- श्री दिनेश विलियम मराण्डी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (30)- सर्वश्री मथुरा प्रसाद महतो,सरयू राय एवं श्री नलिन सोरेन,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (31)- सर्वश्री राज सिन्हा, विनोद कुमार सिंह एवं श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-03-23 एवं 22-03-2023 से स्थगित)
- (32)- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक- 22-03-2023 से स्थगित)
- (33)- डॉ०सरफराज अहमद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक- 22-03-2023 से स्थगित)
- (34)- श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक- 22-03-2023 से स्थगित)
- (35)- श्री रामदास सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक- 22-03-2023 से स्थगित)
- (36)- श्री नारायण दास, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक- 22-03-2023 से स्थगित)
- (37)- श्री अमित कुमार मण्डल,स०वि०स० एवं श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन,कला-संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (38)- डॉ०लम्बोदर महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (39)- सुश्री अम्बा प्रसाद,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन,कला-संस्कृति,खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(40)- श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० डॉ०नीरा यादव, स०वि०स० एवं श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार(कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओरसे वक्तव्य।

(41)- श्री केदार हजरा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(42)-झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(43)-कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री बादल द्वारा जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्टों के वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं राज्य स्तर पर तैयार समेकित प्रतिवेदनों की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(44)-वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री,डॉ०रामेश्वर उरौव द्वारा झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022 की धारा-9 के प्रावधानानुसार मंत्रिपरिषद् द्वारा पारित झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली,2023 की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।

(45)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(46)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी-कार्य:-

(47)-प्रभारी मंत्री,श्रम,नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-20 जुलाई,2018 को सभा द्वारा पारित "औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन)विधेयक,2018 को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(48)-प्रभारी मंत्री,श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-18 दिसम्बर,2015 को सभा द्वारा पारित "झारखण्ड ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन)(झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2015" को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(49)-प्रभारी मंत्री,श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-18 दिसम्बर,2015 को सभा द्वारा पारित “बिहार औद्योगिक (राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश और आकस्मिक छुट्टी) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2015” को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(50)-प्रभारी मंत्री,श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-27 दिसम्बर,2018 को सभा द्वारा पारित “ झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2018” को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(51)-प्रभारी मंत्री,श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-20 जुलाई,2018 को सभा द्वारा पारित “झारखण्ड श्रम विधियों (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक,2018” को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

(52)-प्रभारी मंत्री,श्रम, नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक-25 जुलाई,2019 को सभा द्वारा पारित “कारखाना (झारखण्ड संशोधन)विधेयक,2019”को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-110 के अधीन सभा द्वारा वापस लिया जाय।

-: राजकीय विधेयक :-

“ इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023 ”

(53)-मंत्री प्रभारी, स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्री बन्ना गुप्ता, प्रस्ताव करेंगे कि “इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग)(संशोधन)विधेयक,2023”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(54)-मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, श्री बन्ना गुप्ता,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(55)-मंत्री प्रभारी, वित्त विभाग, श्री बन्ना गुप्ता,प्रस्ताव करेंगे कि“इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023”पर विचार हो।

(56)-मंत्री प्रभारी,वित्त विभाग, श्री बन्ना गुप्ता, प्रस्ताव करेंगे कि “इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग)(संशोधन)विधेयक,2023” स्वीकृत हो।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

(57)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प। (संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

(58)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

(59)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(60)- अध्यक्ष का समापन भाषण।

सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०२३-१५३५/वि०स०, राँची, दिनांक- 22/03/23

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/2023

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०२३-१५३५/वि०स०, राँची, दिनांक- 22/03/23

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/2023

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०१/२०२३-१५३५/वि०स०, राँची, दिनांक- 22/03/23

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/2023

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत//

22-03-23